बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के द्वितीय त्रैमास जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 हेतु किरासन तेल के आवंटन में वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रथम त्रैमास हेतु कर्णांकित आवंटन से लगभग 5.00 प्रतिशत की कटौती की गयी है । भारत सरकार के द्वारा उक्त आवंटित किरासन तेल की मात्रा में कटौती किये जाने के कारण पूर्व की भाँति माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक निम्नरूपेन कंडिकावार किरासन तेल वितरण की व्यवस्था की जाती है :–

(1) माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित 1,47,76,114 ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार 1.50 लीटर की दर से राशन कार्ड के आधार पर किरासन तेल उपलब्ध कराने हेतु कुल 22164171 लीटर एवं शेष 30,63,222 Non-NFSA ग्रामीण परिवारों को पूर्व निर्गत ए.पी.एल. कार्ड अथवा पुरानी पारिवारिक सर्वेक्षण सूची के आधार पर एवं आधार सं0 तथा बैंक एकाउन्ट अथवा फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर प्रति परिवार 1.50 लीटर की दर से किरासन तेल उपलब्ध कराने हेतु कुल 4594833 लीटर किरासन तेल का प्रावधान किया जाता है।

(2) विभागीय पत्रांक 1004 दिनांक 22.03.2006 में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के झुग्गी–झोपड़ी, छात्रावास, रैन–बसेरा, दलित कॉलोनी इत्यादि में वितरण हेतु प्रत्येक ठेला वेण्डर को प्रतिमाह 400 लीटर किरासन तेल का प्रावधान किया जाता है। उक्त उपावंटित किरासन तेल का वितरण निगरानी समिति एवं संबंधित पदाधिकारियों की देख–रेख में कराया जाय एवं भंडार पंजी, बिक्री पंजी तथा कैशमेमो का संधारण कराया जाय एवं समय समय पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराते हुए अनुमंडल पदाधिकारियों से इसका सत्यापन कराया जाय।

(3) राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों/ईकाईयों एवं नेपाल से सटे जिलों में अवस्थित ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के थानों एवं पुलिस पोस्टों हेतु प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए प्रतिमाह कुल 62,110 लीटर किरासन तेल का प्रावधान किया जाता है ।

(4) जिला सुरक्षित मद में विभिन्न जिलों में अवस्थित कार्यालयों के आधार पर जिलों को वर्गीकृत करते हुए निम्न रूप में सुरक्षित मद के उपावंटन की व्यवस्था की जाती है:–

(i) जिले जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय, विश्वविद्यालय एवं अधिक संख्या में संस्थान हैं क्रमशः पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर 6067 लीटर प्रतिमाह ।

(ii) जिले जहाँ विश्वविद्यालय एवं प्रमंडलीय मुख्यालय अवस्थित है, भोजपुर एवं सारण 5308 लीटर प्रतिमाह ।

(iii) वैसे जिले जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय या विश्वविद्यालय या नगर निगम अवस्थित है, क्रमशः मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, नालन्दा एवं मधेपुरा 4550 लीटर प्रतिमाह ।

(iv) कंडिका (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित जिलों को छोड़कर शेष 24 जिलों के लिए 3791 लीटर प्रतिमाह ।

इसके पूर्व निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

11/7
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र07– कि0आ0–02/2018 – 3276 खाद्य/पटना, दिनांक 11.07.18
प्रतिलिपि : सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, खाद्य/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/7/XVIII
सरकार के अपर सचिव ।

D:\M...\K Oil Order.doc